


कार्यालय उप संचालक, कृषि जिला-जशपुर (छ.ग.)

::निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्रमांक/ ³⁷⁹⁶ /कृ.वि./प्र.म.कृ.यो./IWMP/निविदा/2017

जशपुर, दिनांक 8-12-17

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड डेव्हलपमेन्ट), एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत जलग्रहण कार्यों के सफल सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार जे.सी.बी./मशीन की आवश्यकता है। जिसके लिये इच्छुक फर्म दिनांक 22/12/2017 अपरान्ह 04.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में शर्तों के अधीन आमंत्रित किया गया है। निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.gov.in एवं उप संचालक कृषि जिला जशपुर के सूचना फलक पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।


उपसंचालक, कृषि
जिला जशपुर

कार्यालय उप संचालक, कृषि जिला-जशपुर (छ.ग.)


::निविदा आमंत्रण सूचना::

क्रमांक/8797/कृ.वि./प्र.म.कृ.यो./IWMP/निविदा/2017

जशपुर, दिनांक 8-12-17

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड डेव्हलपमेन्ट), एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत संबंधित माईक्रो वाटरशेड में स्वीकृत जलग्रहण विकास कार्य को (मशीन/जेसीबी आवश्यकतानुसार) की आवश्यकता है। जिसके लिये इच्छुक फर्म दिनांक 22.12.2017 अपरान्ह 04.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में शर्तों के अधीन आमंत्रित किया जाता है।

1. मशीन से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण होना आवश्यकता है। एवं वाहन अनुज्ञा पत्र वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा।
2. इच्छुक प्रतिभागियों को वाहन से संबंधित वैध अभिलेख वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. इच्छुक प्रतिभागियों/ फर्म को आवेदन के साथ साथ फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
4. इच्छुक प्रतिभागियों को जिले में संचालित आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं के लिये परियोजनावार मिट्टी के कार्यों का प्रति क्युबिक मीटर की दर पर पृथक पृथक भाव-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। (परियोजना क्षेत्र की जानकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि विभाग में प्राप्त किया जा सकेगा)
5. भाव पत्र के साथ अमानत के रूप में रु. 50000.00 (अक्षरी पचास हजार रु. मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "उप संचालक कृषि, कृषि विभाग जिला, जशपुर के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है, जो पृथक लिफाफे के अन्दर बंद होगा।
6. निविदा प्रस्तुत लिफाफे के ऊपर "एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत भाव-पत्र" अंकित करते हुए " उप संचालक कृषि, कृषि विभाग जिला, जशपुर के पते पर प्रस्तुत करना होगा।
7. चयनित प्रतिभागियों/ फर्मों को उनके द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान संबंधित परियोजनाओं के जलग्रहण समिती द्वारा कार्यों के मूल्यांकन पश्चात् ही देय होगा।
8. निर्धारित तिथि 22.12.2017 को उपरान्ह 04.00 बजे तक प्राप्त निविदाएं उसी तिथि को ही उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार उक्त समय में उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी निविदाकार द्वारा अमानत राशि का लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया है तो भाव पत्र का लिफाफा नहीं खोला जाएगा एवं उन्हें निविदा से पृथक रखा जाएगा।
9. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
10. चयनित प्रतिभागियों/ फर्मों द्वारा प्रस्तुत देयक में नियमानुसार जी.एस.टी कटौति की जाएगी।


उपसंचालक, कृषि
जिला जशपुर